न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 358 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कालुराम पुत्र घासीराम जाति पालीवाल निवासी पालीवालों का बास, खामल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. मृतक लक्ष्मण पुत्र पन्नालाल के का0मु0 1 / 1 भीकीदेवी पत्नी लक्ष्मण 1 / 2 नारायणलाल पुत्र लक्ष्मण जातिगण पालीवाल ब्राह्मण निवासीगण खामल तह0 सोजत जिला पाली राज0। 1 / 3 अणदी देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी राधा किशन जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी खामल तह0 सोजत जिला पाली। 1 / 4 धापुदेवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी सुरेश जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी झीतड़ा तह0 रोहट जिला–पाली राज0। 1 / 5 लीला देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी पेमजी 1 / 6 डाऊ देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी खेमजी जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी पालीवालों का बड़ा बास, कांकेलाव तह0 व जिला जोधपुर राज0। 2. चेतराम 3. पेमाराम 4. मृतक पुखराज पुत्र लालूराम के का0मु0 4 / 1 ढगलाराम पुत्र पुखराज 4 / 2 अशोक पुत्र पुखराज 4 / 3 गंगाराम पुत्र पुखराज 4 / 4 नारायण पुत्र पुखराज जातिगण पालीवाल ब्राह्मण निवासीगण खामल तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4 / 5 मोहनीदेवी पत्नी लुणाराम पुत्री पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी झीतड़ा तह0 रोहट जिला–पाली राज0। 4 / 6 लीलादेवी पत्नी नन्दलाल पुत्री पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी काकेलाव तह0 लुणी जिला जोधपुर। 4 / 7 केसीदेवी पत्नी पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी खामल तह0 सोजत जिला पाली राज0। 5. मदनलाल पिसरान लालूराम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी पालीवालों का बास, खामल तहसील सोजत जिला पाली राज0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री बी0आर0 चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 13/02/2025

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम खामल पटवार हल्का खामल, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 360 रकबा 3.9700 है0, खसरा नंबर 361/3 रकबा 0.6100 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 352 रकबा 14.5200 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा खामल के खसरा नंबर 360, 361/3 कृषि भूमि में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने व0ना0 व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चेतराम, पेमाराम, पुखराज, मदनलाल पिसरान लालूजी के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण सं0 357/2018 का प्रा0पत्र पेश किया था, जिसमें ख.नं. 353 में से होकर मांग की गई थी, जो प्रार्थी ने विड्रोल कर दिया गया। प्रार्थी की खातेदारी में पहुंच हेतु नजदीक रास्ता ख.नं. 353 में से होकर हैं। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए प्रा0पत्र पेश किया है, जिसे खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021—22/334 दिनांक 02.02.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 शिवपुरा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम खामल के ख0नं0 352 में आने जाने हेतु वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 361/3 व 360 में से होकर जाता हैं। ख0नं0 361/3 में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 128 मीटर × 4 मीटर = 0.0512 है0 हैं। ख0नं0 360 में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 32 मीटर × 4 मीटर = 0.0128 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 15,40,000/— रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

(15,40,000/– रू0 × 2 × 0.0640 है0 = 197120/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 361/3, 360 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत शिवपुरा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम खामल के खसरा नम्बर 352 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 361/3, 360 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रति0 द्वारा लिखित बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी के ख. नं. 352 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता ख.नं. 351 मे से जाता है, जिसकी प्रार्थी द्वारा मांग नहीं की गई हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में ख.नं. 353 में से रास्ते हेतु प्रकरण सं0 357/2018 बअनवान कालूराम बनाम चेतराम वगैरा श्रीमान के न्यायालय में पेश किया था, जिसे प्रार्थी द्वारा जानबूझकर खारिज करवाया। प्रार्थी द्वारा रास्ते के संबंध में अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया। जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्षकारान को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 शिवपुरा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 361/3, 360 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना / विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम खामल पटवार हल्का खामल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 352 कुल रकबा 14.5200 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 361/3, 360 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से 15,40,000/– रू0 × 2 × 0.0640 है0 = 197120/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो / काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	360 बा0 अ0	3.9700 है0	भीकीदेवी पत्नी लक्ष्मण 1/6 नारायणलाल पुत्र लक्ष्मण 1/6 अणदी देवी पुत्री लक्ष्मण 1/6 धापुदेवी पुत्री लक्ष्मण 1/6 लीला देवी पुत्री लक्ष्मण 1/6 डाऊ देवी पुत्री लक्ष्मण 1/6 जाति पालीवाल सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा पाली,	32 मी0× 4 मी0 = 0.0128 है0	6570.66 /–रूपये प्रति खातेदार
				कुल राशिः–	39424/– रूपये
02.	361/3 बा0 अ0	0.6100 है0	केसीदेवी पत्नी पुखराज 1/4 चेतराम पुत्र लालुराम 1/4 पेमाराम पुत्र लालुराम 1/4 मदनलाल पुत्र लालुराम 1/4	128 मी0× 4 मी0 = 0.0512 है0	39424/– रू प्रति खातेदार
					157696/– रूपये

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)